

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 6, 2019/अग्रहायण 15, 1941 No. 448] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 2019/AGRAHAYANA 15, 1941

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2019

सं. एफ. 43001/02/2013-एनएसडीए.—वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 27.12.2013 की अधिसूचना संख्या 8/6/2013-निवेश के तहत राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में तथा दिनांक 27 नवंबर, 2018 की पूर्व अधिसूचना संख्या 4300/02/2013-एनएसडीए का अतिक्रमण करते हुए सेंचुरियन प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय (सीयूटीएम), गजपित, ओडिशा को एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हताओं में प्रशिक्षण संचालित करने के लिए एतद्द्वारा द्वारा आंकलन तथा प्रमाणीकरण निकायों के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसके लिए एनएसडीए/एनसीवीईटी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। (सूची https://www.nsda.gov.in/पर दी गई है)।

- 2. मान्यता प्राप्त आकलन तथा प्रमाणीकरण निकाय निम्नलिखित की पात्र हैं:-
 - क. एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए अर्हताओं का विकास और प्रस्तुति
 - ख. जिन अर्हताओं के लिए एनएसडीए/एनसीवीईटी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है उन अर्हताओं के संबंध में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी), आकलनकर्ताओं का प्रशिक्षण (टीओए) और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) सहित प्रशिक्षण संचालित करने के लिए आकलन और प्रमाणन करना।

6278 GI/2019 (1)

- ग. केंद्रीय तथा राज्य सरकार के निधियन कार्यक्रमों हेतु अपने-अपने क्षेत्राधिकार में तथा वित्त-पोषित और गैर वित्त-पोषित दोनों कार्यक्रमों के लिए अपने निजी परिसरों में ऐसी अर्हताओं सम्बंधित आकलन और प्रमाणीकरण गतिविधियां करना।
- घ. अंगीकर दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर) पर उपलब्ध मौजूदा अर्हताओं को अंगीकार करना।
- 3. मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर आधारित है:
 - क. आकलन और प्रमाणन किसी एनएसक्यूएफ अनुरूप अर्हता के लिए यथा निर्धारित अनुमोदित मानदंडों और मानकों के अनुसार और उन गतिविधियों के संबंध में एमएसडीई/एनसीवीईटी दिशा-निर्देशों की सीमा में किया जाएगा।
 - ख. मान्यता तीन वर्षों की अवधि (27 नवंबर, 2021) के लिए दी जाती है, जिसके बाद एनएसडीए/एनसीवीईटी से नवीकरण करने की मांग की जाएगी।
 - ग. मान्यता प्राप्त निकाय एनएसडीए/एनसीवीईटी के साथ प्रशिक्षण, आकलन और प्रमाणन गतिविधियों की जानकारी को वार्षिक रूप से साझा करेगी।
 - घ. मान्यता प्राप्त निकाय एनएसडीए/एनसीवीईटी द्वारा ऐसी निकायों के लिए समय-समय पर जारी किए गए मानदंडों और दिशा-निर्देशों का पालन करेगी।

विनिता अग्रवाल, महानिदेशक एवं सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./335/19]

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(NATIONAL SKILL DEVELOPMENT AGENCY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2019

- **No. F. 43001/02/2013-NSDA.**—In pursuance of the powers conferred upon the National Skills Qualifications Committee (NSQC) vide Notification No. 8/6/2013-Invt. dated 27.12.2013 issued by the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Government of India and in supersession of the earlier Notification No. F. 4300/02/2013-NSDA, dated 27th November 2018, the Centurion University of Technology and Management, (CUTM), Gajapati, Odisha, is hereby recognized as an Assessment and Certification Body for trainings conducted in NSQF compliant Qualifications for which approval has been obtained from NSDA/ NCVET (list at https://www.nsda.gov.in/).
- 2. The recognized Assessment and Certification body is eligible to
 - a. Develop and submit Qualifications for NSQF alignment.
 - b. Undertake assessment and certification for trainings conducted, including Training of Trainers (ToT), Training of Assessors (ToA) and Recognition of Prior Learning (RPL), in respect of Qualifications for which approval has been obtained from NSDA/ NCVET.
 - c. Undertake assessment and certification activities for Central/ State Government funded programs within their respective jurisdictional areas; and for both funded and non-funded programs within their own campuses, for such Qualifications.
 - d. Adopt existing Qualifications available on the National Qualification Register (NQR) as per the guidelines of adoption.

- 3. The recognition is based on following conditions:
 - a. Assessment and certification shall be done in accordance with approved norms and standards as prescribed for a particular NSQF compliant Qualification and extant MSDE/ NCVET guidelines in respect of such activities.
 - b. The recognition is granted for a period of three years (27th November 2021), after which renewal shall be sought from NSDA/ NCVET.
 - c. The recognized body shall share information of training, assessment and certification activities with NSDA/ NCVET annually.
 - d. The recognized body shall follow the norms and guidelines as issued by NSDA/ NCVET from time to time for such bodies.

VINITA AGGARWAL, Director-General & Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./335/19]